



कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

सेवा में,

पत्रांक - 720

दिनांक - 24/09/2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

विषय-

चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज के ग्राम बोड़ा, थाना-हंटरगंज-133, खाता नं0- 85, प्लॉट नं0-40 पर 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के विरुद्ध दुगने 8.08 हे0 जंगल झाड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण करने हेतु चिन्हित स्थल का प्रस्ताव समर्पित करने के सम्बंध में।

प्रसंग-

आपका पत्रांक 1788 दिनांक 23.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज के ग्राम बोड़ा, थाना-हंटरगंज-133, खाता नं0- 85, प्लॉट नं0-40 पर 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के विरुद्ध दुगने 8.08 हे0 जंगल झाड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण करने हेतु चिन्हित स्थल का DGPS Map, टोपोग्राम, कैडेस्ट्रल मैप, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं दस वर्षीय प्राक्कलन की आठ-आठ प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित किया गया है जिसके अवलोकनोपरान्त कतिपय त्रुटियाँ पायी गयी जो निम्नवत् है :-

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का दस वर्षीय प्राक्कलन में पी0सी0सी0 प्रति पीलर निर्माण हेतु 4500/- राशि अंकित किया गया है जबकि वर्तमान में rain force cement concrete for fit height PCC Pillar @ 7457.00 तथा प्रति पीलर DGPS Survey @ 1306.49 कुल 8763.49 जी0एस0टी0 सहित है। अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
2. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का सक्षम स्तर से Non Encumbrance Certificate की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है।
3. संबंधित भूमि का नामांतरण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति यदि गैरमंजूर आ भूमि राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी है तो सक्षम स्तर से निर्गत हस्तान्तरण आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
4. प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी।
5. चयनित भूमि का किस्म का स्पष्ट उल्लेख जंगल झाड़ी भूमि या रैयती भूमि।

अतः क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समर्पित प्रस्ताव सानुलग्नक सहित सभी मूल प्रतियाँ एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरणोपरान्त संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।